

कर्मचारी की मौत के मामले में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक अधिकारी के घर कोर्ट कर्मचारी की जलने से हुई मौत के मामले में भाँकरोटा थाना पुलिस ने न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चलाना के खिलाफ हत्या, बलात श्रम कराना, बंधक बनाना और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने गत दिनों घटना को आत्मदाह बताया था। वहीं दूसरी ओर न्यायिक कर्मचारियों ने कहा है कि अन्य मांगों को लेकर मुख्य न्यायाधीश से वार्ता की जाएगी और सभी जिला अध्यक्षों की सहमति से सामूहिक अवकाश पर निर्णय लिया जाएगा।

मृतक सुभाष मेहरा की बहन की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीपीएस कोर्ट में पदस्थापित उसके भाई सुभाष को इस कोर्ट के न्यायाधीश अपने घर पर बंधक बनाकर रखते थे और उससे जबरन पेरलू बेगाए कराई जाती थी। वहां से परेशान होकर सुभाष कुछ दिनों पहले उसके घर आकर रुका था, लेकिन इस बीच पुलिसकर्मों उसे जबरन उठाकर ले गए। वहीं गत दस नवंबर को एक पुलिसकर्मों ने फोन कर सुभाष को तबीयत खराब होना बताकर बुलाया। पुलिसकर्मों सुभाष के परिजनों



न्यायिक अधिकारी के घर कोर्ट कर्मचारी की जलने से हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संघ ने सोमवार को रैली निकाली।

को न्यायाधीश चलाना के घर ले गए, जहां तीसरी मंजिल पर सुभाष का जला हुआ शव पड़ा था और शव की आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। रिपोर्ट

में कहा गया कि घर पर एफएसएल टीम और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मों पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान जज चलाना ने उन्हें कहा कि वह पावरफुल व्यक्ति

हैं और उनके सारे काम और कर्ज माफ करवा देगा। वहीं उन्हें सुभाष का बिना सिम लगा मोबाइल लौटाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायाधीश कृष्ण

■ कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी

स्वरूप चलाना और उनके परिजनों ने मिलकर सुभाष की हत्या की है। ऐसे में मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मामले में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से कहा गया है कि पुलिस ने एफआईआर 28 दिन की देरी से दर्ज की है। पुलिस पहले ही इसे आत्मदाह बता चुकी है। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। गौरतलब है कि एनडीपीएस मामले की विशेष कोर्ट में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर जलने से मौत हो गई थी। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए मामले की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी न्यायिक अफसर को एपीओ करने, मृतक के परिजनों को पचास लाख रूपए मुआवजा सहित एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर बोते 18 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं।

प्रदेश में केवल एक ही नया संक्रमित मिला सोमवार को

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में पिछले करीब आठ महीने बाद सोमवार केवल एक ही नया कोरोना संक्रमित मिला है। तीसरी

■ अन्य किसी भी जिले में नया संक्रमित सामने नहीं आया है

कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार में नंबर वन होने से निवेशक निवेश नहीं कर रहे प्रदेश में : भदेल

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जन आक्रोश यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिता भदेल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, भाजपा द्वारा राजस्थान में चल रही जन आक्रोश यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस सरकार के राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार से जनता अब तंग आ चुकी है, भ्रष्टाचार की बानगी राजस्थान के पीपलखुंट में 1 हजार करोड़ रूपए की लाइफ स्टॉन की माईस को गहलोत सरकार ने मार्बल की माईस बताकर सिर्फ 5 करोड़ रूपए में ऑडिशन कर अपने चहेतों को दे दी। शेष बचा हुआ राजस्थान यदि सरकारी के खजाने में आता तो राजस्थान के विकास की योजनाओं में काम आता, गहलोत सरकार ने सिफ पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय प्रचलित योजनाओं के नाम बदले है।

भदेल ने कहा कि, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर वन पर है, जिसकी



वजह से राजस्थान के विकास की गति बंद हो चुकी है। कांग्रेस सरकार जनता से वार्दों को नहीं पूरा कर उनके साथ वादाखिलाफी कर धोखा दे रही है। जब-जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब-तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था की बढहाली से मालूम चलता है कि मार्च 2019 तक प्रतिव्यक्ति कर्ज 38 हजार रूपए था, जो वर्तमान में दुगुना होकर लगभग 70 हजार रूपए हो गया है, यदि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसी गति से चलती रही तो 2023 तक प्रति व्यक्ति कर्ज 86 हजार रूपए हो जाएगा। भदेल ने कहा कि,

- ‘केन्द्र सरकार की अर्थव्यवस्था सकारात्मकता की ओर अग्रसर है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, राज्य की अर्थव्यवस्था को डुबोने की कगार पर ला दिया है’
- ‘जब-जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब-तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है’

राजस्थान में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उप हो चुकी है, कांग्रेस सरकार ने राज्य में कई वेलफेयर योजना बंद कर दी, साथ ही तीन वर्षों से किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को भी बंद कर दिया गया। राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम पूरे देश में सबसे अधिक है।

भदेल ने कहा कि, आज पूरे देश में सबसे अधिक मंडी टैक्स राजस्थान की किसानों पर लगाया गया है, बिजली के दरे महंगी होने से नए व्यापारियों ने कोई भी नई यूनिट

राजस्थान में नहीं लगाकर दूसरे राज्यों में लगा रहे है। वर्ष 2021-22 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हर उपखंड मुख्यालय में औद्योगिक इकाइयां विकसित करेंगे लेकिन वर्तमान में 144 उपखंड मुख्यालय ऐसे हैं जहां कोई औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हुई है। केन्द्र सरकार की अर्थव्यवस्था जहां सकारात्मकता की ओर अग्रसर है वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को डुबोने की कगार पर लेकर आ गई है।

लहर के बाद यह नए संक्रमितों की अब तक की सबसे कम संख्या रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में केवल जयपुर में ही एक नया संक्रमित मिला है। हालांकि जांच रिपोर्ट में इसका पता साफ नहीं हो पाया है इसे ट्रेस नहीं किया जा सका है। उधर इस बीच जयपुर के अलावा अन्य किसी भी जिले में कोई भी नया संक्रमित नहीं पाया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड को प्रदेश में 9 रोगी पाए गए थे। राज्य में सोमवार को कोई मरीज ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 68 हो गए हैं। इनमें 41 मरीजों का इलाज जयपुर में चल रहा है। प्रदेश में सोमवार को भी कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

पीएम से मिले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

गांधीनगर/जयपुर। गुजरात के मुख्यमंत्रीभूपेंद्र Patel के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूर्निया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इत्यादि नेता शामिल हुये। जहां उन्होंने भूपेंद्र पटेल और मंत्रिमंडल के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की आत्मीय मुलाकात हुई और मार्गदर्शन मिला। पूर्निया ने कहा कि गुजरात के नवनिर्वाचित सीएम भूपेंद्र पटेल से आत्मीय मुलाकात कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

गैंगस्टर ने फोन कॉल पर प्रॉपर्टी डीलर से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

जयपुर (कासं)। बजाज नगर में व्यापारी को मिली धमकी के बाद अब हरमाड़ा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर को गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से धमकी मिली है। बदमाश ने 5 करोड़ की फिरोती नहीं देने पर व्यापारी को 50 गोली मार गैंगस्टर राजू ठेहट जैसा हाल करने की धमकी दी है। गौरतलब है कि गत दिनों बजाज नगर इलाके निवासी व्यापारी से गोल्डी बराड के नाम से 2 करोड़ रूपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने उसे सुरक्षा प्रदान की है।

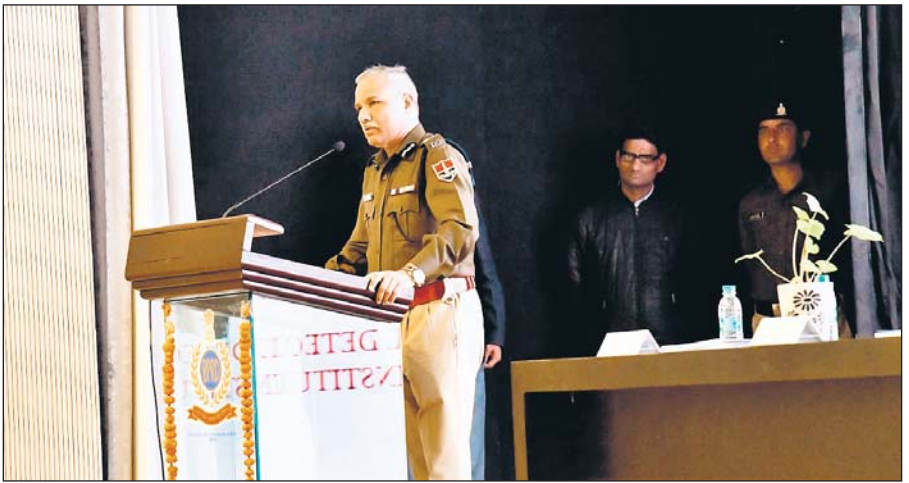
पुलिस के अनुसार पीडित के पास 10 दिसम्बर की शाम करीब साढ़े 6 बजे व्हाट्सप कॉल आया था। बदमाश ने खुद को बीकानेर निवासी गैंगस्टर

- रकम नहीं देने पर राजू ठेहट की तरह 50 गोлияयं मारने की धमकी दी
- बजाज नगर के बाद हरमाड़ा इलाके में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी का मामला सामने आया

रोहित गोदारा बताया था। आरोपी की धमकाते हुए पांच करोड़ रूपए की डिमांड की। नहीं देने पर 50 गोली मार कर राजू ठेहट जैसा हाल करने की धमकी दी। पीडित और रोहित के बीच काफी गाली गलौज हुई। इस दौरान बदमाश ने कुछ समय पहले हनुमानगढ में हुई एक हत्या का भी जिक्र किया।

इसके बाद फोन काट दिया। डीसीपी, व्हेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीडित प्रॉपर्टी डीलर को सुरक्षा दे दी गई है। मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। वहीं, डीएसटी और सीएसटी टीम इस संबंध में कार्रवाई के लिए तैयार की गई है।

साइबर अपराध रोकने के लिए दक्षता बढ़ाना जरूरी : डीजीपी



पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने 12 से 23 दिसंबर तक आयोजित सीसीटीएनएस प्रौद्योगिकी स्टेक प्रशिक्षण का सोमवार को उद्घाटन किया।

जयपुर। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक है। मिश्रा 12 से 23 दिसंबर तक आयोजित सीसीटीएनएस प्रौद्योगिकी स्टेक प्रशिक्षण का आज यहां उद्घाटन किए रहे थे। राजस्थान पुलिस में नवगठित तकनीकी कोर ग्रुप के प्रतिभागियों की दक्षता अभिवृद्धि के लिए केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में 12 दिसंबीय सीसीटीएनएस प्रौद्योगिकी स्टेक

प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। मिश्रा ने वर्तमान में नवीनतम तकनीकी रोकथाम, साइबर सुरक्षा एवं अन्य अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार एवं तकनीकी सेवाएं सुनील दत्त ने बताया कि राजस्थान पुलिस में स्थापित तकनीकी कोर ग्रुप के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कड़ी में यह दूसरा संस्करण है। "तकनीकी कोर ग्रुप" सीसीटीएनएस परियोजना के

संचालन के साथ-साथ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर सुरक्षा एवं अन्य आईटी परियोजनाओं के साथ इंटीग्रेशन का कार्य प्रभावी रूप से करेंगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सचिव मित्तल, महा निरीक्षक पुलिस स्टेट क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो शरत कविराज एवं केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉ अमनदीप सिंह कपूर ने राजस्थान पुलिस में तकनीकी कोर ग्रुप की आवश्यकता के विषय में विचार प्रस्तुत किए।

खबोया पाया

मेरा फ्लैट सं.-28/ST/L/413 (3-F) सतलुज अपार्टमेंट प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल भौतिक कब्जा प्रति कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क - 8829874338

मेरा राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के फ्लाट नं. 82/484 का आवंटन पत्र, मांग पत्र, जमा रसीदे एवं नियमितकरण के मूल दस्तावेज बाबू का टीबा, रामराज में कहीं खो गये है मिलने पर सूचित करें- शीला रानी 9829140104

मेरे मकान 12/326 मालवीय नगर जयपुर का मूल अलॉटमेंट लैटर मालवीय नगर जयपुर में कहीं गिर गया है। मिलने पर सूचित करें- रमेश कुमार दररानी 9828154019

गांधीनगर जयपुर स्टेशन का होगा विश्वस्तरीय पुनर्विकास



जयपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा गांधीनगर जयपुर स्टेशन का विश्वस्तरीय विकास किया जायेगा। इसके लिए 177.45 करोड रूपए का कार्य अवाढ़ किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार महाप्रबन्धक विजय शर्मा के कुशल दिशा निर्देशन में गांधीनगर जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। वर्तमान गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर दो नई बिल्डिंग का निर्माण प्रस्तावित है। सामने की ओर की मुख्य इमारत की प्लस 2 बिल्डिंग बनाई जायेगी। मुख्य प्रवेश स्टेशन भवन में डिपार्चर लॉबी, वेस्ट्रबुल, बैगेज स्कैनर के साथ सुरक्षा जांच क्षेत्र, हेल्प डेस्क क्षेत्र, प्रस्थान हॉल, शौचालय, आरपीएफ कक्ष और हेड टीसी कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएं

■ दो नई बिल्डिंग के साथ ही एयर कॉनकोर्स एवं छत पर होगी सुविधाएं

होंगी। प्लेटफार्म 1 पर अनारक्षित प्रतीक्षालय, एक्ज़िक्यूटिव प्रतीक्षालय, खुदरा स्टॉलें, शौचालय, शिशु आहार कक्ष और प्लेटफार्म संख्या 1 पर आने वाले यात्रियों के लिए आगमन कक्ष होगा। इस भवन का मेजेनाइन फर्श बनाया जायेगा। भूमि तल पर विभिन्न रेलवे कार्यालय एवं दूसरी मंजिल पर एक्सेस कंट्रोल, मेटल डिटेक्टर सिस्टम, बैगेज स्कैनर सिस्टम, अतिरिक्त प्रतीक्षा कक्ष, रिटेल स्टॉल, मॉड्यूलर शौचालय, सीढ़ियां, लिफ्ट, एक्सेलेटर आदि होंगी। पहली मंजिल तल आसान पहुंच के लिए एक्सेलेटर, लिफ्ट एवं

सीढ़ियां बनाई जाएंगी। स्टेशन के दूसरे प्रवेश की इमारत की प्लस 1 की होगी जिसमें टिकट काउंटरों के साथ हॉल, बुकिंग कार्यालय, बैगेज स्कैनर के साथ सुरक्षा जांच, प्रस्थान हॉल आदि होंगे तथा अन्य प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अनारक्षित प्रतीक्षा हॉल, शौचालय, बेबी कैरर रूम, आरपीएफ थाना, आगमन हॉल, कुली रूम कक्ष होंगे। मुख्य प्रवेश द्वार पर दुपहिया और चौपहिया वाहनो की पार्किंग के लिए पर्याप्त दो मंजिला भूमिगत बेसमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। मौजूदा फुट ओवर ब्रिज को नई वास्तु कला थीम के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा।

पुर्नविकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक एयर कॉनकोर्स प्रस्तावित है, जो दोनों इमारतों को प्लेटफार्मा के ऊपर से जोड़े हुए बनाया जायेगा।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम विरेन्द्र (Virender) व पता-वाई नं.1, सैनी मोहल्ला, भादरा से बदलकर विरेन्द्र सैनी (Virendra Saini) पुत्र श्री किशोरी लाल सैनी पता-फ्लैट नं. टी-1 आनन्द नुशुक्रिया, प्लॉट नं.121, रोडुराम नगर, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैं इमरती देवी (Imarati Devi) मेरे पति हरी राम थाकन के P.P.O. No. 234980721826 मे मेरा नाम Imarita Devi एवं मेरे पुत्र अ.कि. त थाकन के स्कूल रिकार्ड के T.C. मे मेरा नाम Imrti Devi अंकित है। जो कि गलत नाम है। सही नाम इमरती देवी (Imarati Devi) है दर्ज करें निवासी गांव दन्तुजला, पोस्ट भुमाबाद, जिला सोकर राजस्थान 332318

I have changed my Name Chandini Nahar to Chandini Nahar Jain W/O Priyankar Jain R/O Rangoli Greens, Tower 9, Unit No 202, Maharana Pratap Marg, Kanakpura, Panchyawaia, Jaipur that I have changed my daughter name from RAINI RATHORE TO RADHYA RATHORE vide affidavit dated 5dec2022 because district notary Jaipur.

I amny no 3004109A Ex Nk(ACP) Hav Yogendra Singh S/O Khwaia Karan Singh R/O plot no 96 shiv Vihar colony Gokulpura jhotwara Jaipur that I have changed my daughter name from RAINI RATHORE TO RADHYA RATHORE vide affidavit dated 5dec2022 because district notary Jaipur.

I Manoj kanwar W/o Army no 4194180X Ex NK Mahendra Singh Shekhawat R/O Nakawala via chandwail teshil Amer district jaipur That I have changed my name From MANOJ KUNWAR TO MANOJ KANWAR (DOB 10/1/1980) vide affidavit dated 8/12/2022 before district notary Jaipur.

I Army no 14401849L Ex hav Shambhu Dayal yadav S/o Sohan Lal Yadav R/O Raghunathpura via pragrura/jaipur That I have changed my wife name SANTOSH TO SANTOSHDEVI (DOB 30/nov 1969) & Son name From SUNIL DATT YADAV TO SUNIL DUTT YADAV (31 may 2003) vide Affidavit dated BB 15/11/2022 before district notary Jaipur.

I Nirmala W/O army no 2896513X Hav Rajesh Dangi (5 RajRif) R/o Salasar city A block niwaru near bd college jhotwara Jaipur That I have changed my name From NIRMALA RAO (DOB 5/7/1985) To NIRMALA (12/7/1985) vide affidavit dated 8 dec 2022 before district notary Jaipur

मैंने अपना नाम संजय कुमार अग्रवाल से बदलकर संजय अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। संजय अग्रवाल पुत्र श्री राधारमन अग्रवाल निवासी- 8 एफ 1, श्री इयामा एक्सीलेंसी, संतोष नगर, गंगा जमुना पेट्रोल पम्प के सामने, जयपुर- 19 संजय अग्रवाल

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान संमति मकान नंबर 891,892,893 पिंजरा प्लॉट नौशाहा के सामने, गोपलजी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर की संसदीय का मेरा अग्रजमाथ की किस्म समीप पुत्री श्री मना लाल शर्मा व उसके तीन भाई व दो बहिनो द्वारा उक्त संसदी का विधाय पत्र का पंजीकरण दिनांक 28.11.2022 को आरपी फिलान कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी आरपी मीमा को चुर्नर नहीं किया है। इस कारण सर्वकारनाम को अपनी किस्म कला है कि पत्र पंजीकरण के पत्र में निवेदित अनुसार है। जिसके इकरारनामा दिनांक 10.11.2021 व 15.04.2022 के अनुसार कबाला पत्रा 29.06.000/- रुपये का भुगतान डेवी आरपी मीमा व उसके तीन पुत्रों मीमा द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त संसदी का कबाला डेवी